# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

**तेरहवां सत्र**

**समाचार भाग-1**

**संख्याः 126**

**मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2016/29 अग्रहायण, 1938(शक्)**

**सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख**

**समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)**

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।**

बैठक के प्रारम्भ होते ही व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए विपक्ष के सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज प्रश्नकाल स्थगित करके हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, उस पर चर्चा करें। Income Tax Appellate Tribunal में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो अपील दायर की गई है उसको रिजैक्ट कर दिया गया है और साथ ही सी0बी0आई0 ने चार्ज़शीट कम्पलीट कर ली है। पिछले 4 वर्षों से यहां पर ऐसा हो रहा है। उनकी बात का समर्थन करते हुए डॉ0 राजीव बिन्दल ने कहा कि नियम-67 के अंतर्गत जो गम्भीर विषय हमने लगाया है, उसके अनुसार माननीय मुख्य मन्त्री के विरूद्ध ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया है और चारों मामलों में उनकी अपील खारिज हो गई है। अतः सारे कार्य को रोककर सर्वप्रथम इस गम्भीर विषय पर चर्चा करवाई जाए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया :-

" कल दिनांक 19.12.2016 को श्री रविन्द्र सिंह , माननीय सदस्य व आज प्रातः 9.50 बजे डॉ0 राजीव बिन्दल, सदस्य से नियम-67 के अंतर्गत कार्य स्थगत प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जो कि क्रमशः भारतीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच व इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, चण्डीगढ़ द्वारा मुख्य मंत्री के खिलाफ़ एकसैस असैसमैंट बारे दिए गए फैसले से सम्बधित है। श्री सुरेश भारद्वाज जी से भी इस विषय पर स्थगत प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त हुई है। यह दोनों मामले क्योंकि न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए जो मामले न्यायालय या ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हों उन पर हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-69(8) व 70 के प्रावधानों के अनुसार सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इस प्रकार संसदीय पद्धति व प्रक्रिया के अनुसार सी0बी0आई0 द्वारा जांच विषय तथा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा टैक्स असैसमैंट का मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना प्रदेश सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अतः इसके दृष्टिगत मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत कर दिया है।"

(माननीय अध्यक्ष के निर्णय से असन्तुष्ट विपक्ष के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए अध्यक्ष महोदय के आसन के पास इकट्ठे हो गए।)

(11.35 बजे पूर्वाह्न विपक्ष के शोरगुल व नारेबाजी के मध्य सदन की बैठक 12.10 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई। )

(12.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

1. **प्रश्नोत्तर :**

(i) **तारांकित प्रश्न :**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3301, 3429, 3323 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3535 से 3567 तक के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा दिये गये समझे गये।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 1393, 1405 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1498 से 1511 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः**

**श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** द्वारा प्राधिकृत श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

(विपक्ष के माननीय सदस्य कार्य स्थगन प्रस्ताव पर पुनः चर्चा की मांग करते हुए माननीय अध्यक्ष के आसन के पास आकर नारेबाजी करते रहे।)

(12.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, 21 दिसम्बर, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गई)